न्यायालय सहायक कलक्टर बडीसादडी जिला चित्तौडगढ

. पीठासीन अधिकारी :– प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या :– 28/2025 ई.रे. दिनांक 10.11.2025

1. उदयलाल पुत्र माधुलाल सालवी निवासी खरदेवला तहसील बड़ीसादड़ी
2. गोपीबाई पत्नी माधुलाल सालवी निवासी खरदेवला तहसील बड़ीसादड़ी

– प्रार्थीगण

बनाम

1. माधुलाल पुत्र मोती सालवी निवासी खरदेवला तहसील बडीसादडी
2. यशपाल पुत्र माधुलाल सालवी निवासी खरदेवला तहसील बड़ीसादड़ी
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बडीसादड़ी
4. लक्ष्मण सालवी पिता मोहनलाल सालवी नि. खरदेवला तह. बडीसादडी

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंर्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट

उपस्थित– श्री एम.के. गोस्वामी वकील प्रार्थीगण
श्री दीपक जैन वकील विपक्षी नं. 4

–:: आदेश::–

प्रार्थीगण की ओर सें प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि –

1. खाता संख्या नया 189 पुराना 208 की आराजी नम्बर 1050 रकबा 2.4500 हैक्टेयर आराजी नम्बर 1054 रकबा 1.1200 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 147 रकबा 1.3100 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 178 रकबा 0.0900 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 179 रकबा 1.0600 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 644 रकबा 0.1300 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 646 रकबा 0.1000 हैक्टेयर कुल खसरे 7 रकबा 6.2600 हैक्टेयर ग्राम खरदेवला तहसील बड़ीसादड़ी में स्थित है।
2. उक्त प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी के दो लड़के है जिसमें प्रार्थी उदयलाल पुत्र व अप्रार्थी यशपाल पुत्र है। व प्रार्थीया गोपीबाई पत्नी है। माधु व उसके वारिसान चल अचल सम्पति पर काबीज होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। यह कि प्रार्थी उदयलाल व अप्रार्थी 2 दोनो सगे भाई हैं व दोनों अप्रार्थी माधु के पुत्र हैं। प्रार्थीगण गोपीबाई अप्रार्थी माधु की पत्नी है। यह कि वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थीगण तथा अप्रार्थी 1 व 2 की पैतृक पुश्तैनी आराजीयात है जिसमें प्रार्थीगण व अप्रार्थी यशपाल का जन्म से हक हिस्सा निहित हैं तथा वादग्रस्त आराजीयात में जन्म से अपना हक अधिकार रखते हैं।
3. उक्त वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थीगण की पैतृक पुश्तैनी आराजीयात है जिसमे प्रार्थीगण व अप्रार्थी यशपाल का जन्म से हक हिस्सा निहीत है तथा प्रार्थीगण व अप्रार्थी यशपाल का कब्जा होकर प्रार्थीगण अपने हक हिस्से की आराजीयात पर काश्त कर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है किन्तु अप्रार्थी 1 माधु उक्त वादग्रस्त आराजीयात को विक्रय बुर्द कर प्रार्थीगण को उनके हक हिस्से से महरूम करने पर अमादा है। Digitally signed by Praveen Kumar
4. उक्त वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थीगण की पैतृक पुश्तैनी आराजीयात है जिसमें अप्रार्थीगण का जन्म से हक हिस्सा निहीत है तथा उक्त वादग्रस्त आराजीयात पर प्रार्थीगण का ही कब्जा होकर उक्त आराजीयात का प्रार्थीगण अरसाकदिमी से उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है जिस कारण वादग्रस्त आराजीयात को प्रार्थीगण के नाम घोषित कर दर्ज रिकार्ड फरमाया जाना न्यायोचित है तथा वादग्रस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar
Date: 2025.12.17 11:51:51 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

आराजीयात में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के बीच लगान की कमी पेशी को लेकर विवाद होता रहता है जिस कारण विधिवत रूप से बंटवाडा कर प्रार्थीगण का खाता पृथक किया जाना आवश्यक है।

5. अप्रार्थी माधु प्रार्थीगण को उसके हक हिस्से की वादग्रस्त आराजीयात से बेदखल करना चाहते है जिस कारण प्रार्थीगण व अप्रार्थी यशपाल के साथ आये दिन लडाई झगड़ा करते है तथा वादग्रस्त आराजीयात को अपने नाम होने से उपर वर्णित आराजीयात को विक्रय करने पर भी आमदा है जिस कारण अप्रार्थी 1 माधु को जरिये स्थायी निषेधज्ञा से पाबन्द फरमाया जाना आवश्यक है कि वह प्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजीयात से बेदखल न करे न करावे तथा वादग्रस्त आराजीयात को विक्रय न करे न करावें।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी को जरीये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह प्रार्थीगण के हक हिस्से की कब्जेशुदा आराजीयात में किसी प्रकार की दखअंदाजी ना करे ना करावे तथा वादग्रस्त आराजीयात के किसी भी भुभाग को रहन, विक्रय अथवा हस्तान्तरण या खुर्द बुर्द ना करे ना करावे।

वकील विपक्षी ने प्रार्थना पत्र का जवाब नहीं देकर सीधे ही बहस करने का निवेदन किया । वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

उभयपक्षो के तर्को के एवं बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु विधि के तीन बिन्दुओं को प्रमाणित करना होता है :–

1– प्रथम दृष्टया मामला
2– सुविधा का संतुलन
3– अपूरणीय क्षति

1– **<u>प्रथम दृष्टया मामला</u>**

पत्रावली पर प्रस्तुत अभिवचनों व दस्तावेजो से यह प्रमाणित होता है कि वाद ग्रस्त आराजीयात पुश्तैनी हैं । विपक्षी प्रार्थी को मौके से बेदखल करने पर आमादा है । इस आधार पर प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है।

2. सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति :–

चूंकि वादग्रस्त आराजीयात पुश्तैनी है। जिससे प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टिया केश प्रमाणित है । तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है यदि विपक्षी को जरीये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो विपक्षी वादग्रस्त आराजीयात को हस्तान्तरीत करने में सफल हो जावेगें जिससे अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थीगण के पक्ष में है अतः सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है। तीनो ही तात्विक बिन्दुओं को प्रार्थीगण साबित करने में सफल रहे है।

–:निर्णय :–

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट. का स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि मौजा खरदेवला पटवार हल्का खरदेवला की आराजी नं. 1050, 1054, 147, 178, 179, 644, 646 कुल किता 7 रकबा 6.2600 हैक्ट. भूमि पर विपक्षीगण को मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किया जाता है कि वे प्रार्थीगण के हक हिस्से की कब्जेशुदा आराजीयात में किसी प्रकार की दखअंदाजी ना करे ना करावे तथा वादग्रस्त आराजीयात के किसी भी भुभाग को रहन, विक्रय अथवा हस्तान्तरण या खुर्द बुर्द ना करे ना करावे।

यह आदेश आज दिनांक 10.11.2025 को सरे इजलास लिखाया [illegible] खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.12.17 11:51:51 IST
Reason: SelfAttested

(प्रवीण कुमार मीणा)
सहायक कलक्टर
बडीसादडी

न्यायालय सहायक कलेक्टर बड़ीसादड़ी
सत्यमेव जयते
बड़ीसादड़ी (चित्तौड़गढ़)